

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

शुद्धिपत्र

क्रमांक B/15683 /
(तीन-18-180-75)

जबलपुर, दि० 25 अक्टूबर, 2018

रजिस्ट्री आदेश क्रं० सी/4776/तीन-18-180/75 दि० 09/10/2018 के संदर्भ में
शुद्धिपत्र जारी किया जाता है कि-

- कंडिका (ख) के सरल क्रमांक-35 पर अंकित श्री मुरली प्रसाद वर्मा, भृत्य, अनूपपुर का सिवनी स्थापना पर अंतर जिला स्थानांतरण निरस्त किया जाता है।
- कंडिका (ग) के क्रमशः सरल क्रमांक-53 एवं 54 पर अंकित कु० उमा भैरवी, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, का टीकमगढ़ से ग्वालियर एवं श्री बृजेश कुमार अहिरवार, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, ग्वालियर का टीकमगढ़ पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण निरस्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(बी०पी०शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी०ई०)

पृष्ठांकन क्रमांक B/15684 /
(तीन-18-180-75)

जबलपुर, दि० 25 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि:-

- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर/सिवनी/टीकमगढ़/ग्वालियर म०प्र० की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- श्री मुरली प्रसाद वर्मा, भृत्य, कार्यालय— जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर, म०प्र०,
- कु० उमा भैरवी, स्टेनोग्राफर कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ म०प्र०,
- श्री बृजेश कुमार अहिरवार, स्टेनोग्राफर ग्रेड-2, कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर म०प्र० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि म०प्र० उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।


(बी०पी०शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी०ई०)